(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 114/2020

बउनवान

संतोष पुत्र मथुरालाल जाति मीना निवासी परोलिया तहसील छबडा जिला बारॉ

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, छबडा जिला बारॉ

(रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– श्री कृष्णकांत शर्मा अभिभाषक (अपीलांट)

2– पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 03.07.2020

अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा के प्रकरण संख्या 1113/2020 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट मे पारित निर्णय दिनांक 06.03.2020 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम परोलिया की सरकारी भूमि किस्म चारागाह सम्वत् 2076 मे खसरा नम्बर 139 की रकबा 3 बीघा भूमि पर फसल गेहूँ की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 90 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 150/– रूपये तावान से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुने तथा बिना जवाब का मौका दिए एकपक्षीय कार्यवाही फरमाकर अपीलांट को दण्डित फरमाने मे कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना मे अपीलांट के विरूद्ध गिरफ्तारी वारन्ट जारी किया जाकर अनुपालना मे अपीलांट को गिरफ्तार करके दिनांक 17.6.2020 को जेल भिजवा दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व दस्तावेजो का समुचित विवेचन नही करके उक्त निर्णय करने मे भारी भूल की है। उक्त विवादित आराजी पर अपीलांट का कभी कब्जा नही रहा है। हल्का पटवारी द्वारा न तो उक्त भूमि की कभी कोई पैमाइश की है एवं न ही कभी अपीलांट को उक्त आराजी से कभी बेदखल किया गया है तथा ऐसी कोई पैमाइश रिपोर्ट अथवा बेदखलीनामा भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे मौजूद नही है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर ध्यान न दे कर परफोमा पर आधारित उक्त निर्णय पारित करने मे न्याय के सर्वमान्य सिद्वान्तों की अवहेलना की है। इस कारण उक्त निर्णय खारिज होने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.03.01 13:22:19 IST
Reason: SelfAttested

यह कि उक्त अतिक्रमण बताई आराजी पर कब्जे के सम्बन्ध में न तो किसी स्वतंत्र गवाह के बयान लिए गए हैं एवं न ही सम्यक कानूनी प्रक्रिया अपनाई है। अपीलांट उक्त निर्णय करने से पूर्व सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया एवं न ही उसे इसकी कोई समुचित सूचना दी गई। वास्तविकता यह है कि प्रार्थी द्वारा कभी उक्त आराजी पर कोई कब्जा नहीं किया एवं न ही उस पर काश्त की है उक्त निर्णय मात्र पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर ही दिया गया है। प्रार्थी ने शास्ति जमा करवा दी है। प्रार्थी परिवार में अकेला कमाने वाला एवं इज्जतदार व्यक्ति है। उसे उक्त निर्णय की पालना में जेल भेज दिया गया है, जिसके कारण उसके परिवार के भूखों मरने की स्थिति आ गई है।

यह कि उक्त निर्णय के बाद देश भर में लॉकडाउन हो जाने से अपीलांट घर पर ही रहना पड़ा, उसके बाद उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। अपीलांट ने दिनांक 17.06.2020 को उक्त निर्णय की नकल का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश की एवं नकल निर्णय दिनांक 19.06.2020 को प्राप्त की, नकल निर्णय प्राप्त होने पर उक्त अपील न्यायालय श्रीमान् में पेश की जा रही है। अपील के साथ मियाद का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत है। अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर फसल गेहूँ की बोई जाकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया है। जिसकी तामील स्वंय अपीलांट को प्रोपर करवाई गयी है। अपीलांट वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहा। प्रकरण मे पटवारी हल्का के बयान लिये गये है। अपीलांट द्वारा पूर्व मे भी सम्वत् 2075 मे अतिक्रमण किया गया था। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मिसल नम्बर 1312/2019 मे पारित निर्णय दिनांक 18.3.2019 से तावान राशि से दण्डित किया जाकर मौके पर से भौतिक रूप से बेदखल कर दिया गया था। अपीलांट द्वारा पुनः सम्वत् 2076 में किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मेरे द्वारा उभयपक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया गया, जिसकी तामील स्वंय अपीलांट को प्रोपर करवाई गई है। अपीलांट वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा मे उपस्थित रहा है। पत्रावली मे अतिक्रमित रकबा अधिक है ओर अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश विधिसंगत प्रतीत होने से यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है ।

परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 1113/2020 मे अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत पारित निर्णय दिनांक 6 [illegible] यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03.07.2020 को सरे [illegible]ास लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.03.01 13:22:19 IST
Reason: SelfAttested

(मोहम्मद अबूबक्र)
अति0 जिला कलक्टर, बारॉ